

न्यायालय:-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना जिला-पन्ना म.प्र.

क्रमांक- / 2025

पन्ना, दिनांक 24.12.2025

संशोधित विविध आदेश

मैं रीतिका मिश्रा पाठक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना, भा0ना0सु0सं0 2023 की धारा 13(2) के अंतर्गत के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये माननीय रजिस्ट्री उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक ए/5561/एक-7-3/2025 भाग-एक जबलपुर दिनांक 24.12.2025 द्वारा दिनांक 02.01.2026 को अवकाश घोषित किए जाने एवं दिनांक 17.01.2026 को कार्यदिवस घोषित किए जाने से पूर्व में जारी रिमांड ड्यूटी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये दिनांक-18.01.2026 को सुश्री श्वेता आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना की रिमाण्ड ड्यूटी के स्थान पर दिनांक-18.01.2026 को श्री भूपेन्द्र सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना को अपने स्टाफ सहित उपस्थित होकर रिमांड ड्यूटी करने हेतु आदेशित करती हूं। शेष रिमांड ड्यूटी आदेश पूर्ववत् रहेगा।


(रीतिका मिश्रा पाठक)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना
जिला-पन्ना म.प्र.

पृष्ठांकन क्रमांक- / 2025
प्रतिलिपि:-

पन्ना, दिनांक

01. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पन्ना की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
02. श्रीमती बिन्दु पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना की ओर सूचनार्थ।
03. सुश्री इकरा मिन्हाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना की ओर सूचनार्थ।
04. श्री भूपेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना की ओर सूचनार्थ।
05. सुश्री श्वेता आर्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पन्ना की ओर सूचनार्थ।
06. श्री अमित शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई की ओर सूचनार्थ।
07. श्रीमती हिमांशी ठाकुर भारद्वाज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पवई की ओर सूचनार्थ।
08. सुश्री उपमा भार्गव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अजयगढ़ की ओर सूचनार्थ।
09. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, पन्ना की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. जे.एस.ए. पन्ना को सीआईएस पोर्टल में अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(रीतिका मिश्रा पाठक)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पन्ना
जिला-पन्ना म.प्र.